

फाइल सं. ए.12018/75/2019-कुष्ठ

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीसीडी अनुभाग)

विषय - क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में मल्टी टास्किंग स्टॉफ (चपरासी) (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों में संशोधन पर सार्वजनिक नोटिस के संबंध में।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 13.10.2015 के का.ज्ञा.सं एबी. 14017/61/2008-स्था.(आरआर) के अनुपालन में, क्षेत्रीय कुष्ठरोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (आरएलटीआरआई), छत्तीसगढ़, रायपुर में मल्टी टास्किंग स्टॉफ (चपरासी) (समूह 'ग' पद) के लिए भर्ती नियमों का मसौदा संलग्न है।

2. भर्ती नियमों के मसौदे पर कोई आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव देने वाले इच्छुक हितधारक मसौदा भर्ती नियमों के प्रकाशन की तारिख से 30 दिनों की अवधि के भीतर लिखित रूप में अपनी आपत्तियां/टिप्पणियां या सुझाव, श्री मनोज कुमार उपाध्याय, अवर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कमरा सं, 401- डी, निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड, नई दिल्ली-110011 या ई-मेल पर भेज सकते हैं। manojkumar.upadhyay29@gov.in

*मनोज
30/11/2022*
(मनोज कुमार उपाध्याय)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष 23061640

नई दिल्ली
दिनांक *30/11/2022*

[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (I) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, तारीख 2022

अधिसूचना

सा.का.नि..... राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ (सफाई कर्मचारी) भर्ती नियम, 2001 का, उन बातों के सिवाय अधिकान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ में मल्टी-टास्किंग स्टाफ (चपरासी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर, छत्तीसगढ़ मल्टी-टास्किंग स्टाफ (चपरासी) (समूह-ग पद) भर्ती नियम, 2022 होगा।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।
2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं आदि- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अहंताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. निरहता - वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य घिछड़ वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है अथवा अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक अहंताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहंताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
मल्टी-टास्किंग स्टाफ (चपरासी)।	03* (2022)	सामान्य केन्द्रीय सरकार सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसूचितीय। *(कार्यभार पर परिवर्तन किया जा सकता है)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-01 (18,000-56,900₹.)	लागू नहीं होता।	18 से 25* वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सामान्य वर्ग के सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग के सरकारी कर्मचारियों के लिए पैंतालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पणी: आयु-सीमा का निर्धारण करने के लिए निर्णायक तारीख अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, लद्धाख, अदमान और निकोबार द्वीप और लक्ष्मीप	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण की हो।	लागू नहीं होता।	दो वर्ष	100% सीधी भर्ती द्वारा।	टिप्पण- पदाधिकारी के एक वर्ष अथवा इससे अधिक समयावधि के लिए प्रतिनियुक्त अथवा लंबी बिमारी अथवा अध्ययन अवकाश पर अथवा किसी अन्य परिस्थितियों के चलते सेवा से दूर रहते हुए इुई रिक्ति को नियमित आधार पर समरूप पद पर पदस्थ केंद्रीय सरकारी अधिकारियों तथा स्तंभ (7) के

				<p>संघ राज्य क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p> <p>टिप्पणि 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से की जाने वाली भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।</p>				अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित योग्यता वाले अधिकारियों के बीच से प्रतिनियुक्ति आधार पर भरा जाएगा।
--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।</p>	<p>यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।</p>	<p>भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोग सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</p>
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	<p>समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (नियमितीकरण के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:</p> <p>1. निदेशक - क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - अंैयक्ष</p> <p>2.उप-निदेशक- क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर - सदस्य</p> <p>3. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी- क्षेत्रीय कुष्ठ रोग प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, रायपुर सदस्य</p>	लागू नहीं होता।

फा.सं. ए.12018/75/2019-कुष्ठ

(मनोज कुमार उपाध्याय)

अवर सचिव, भारत सरकार